न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 73/12 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस सख्या :– 2012/00093

उनवान

धूप सिंह पुत्र मुख्त्यार सिंह जाति जाट निवासी भरीतर तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई दि0 10.07.2012 मि.नं. 14/12 उनवान धूप सिंह बनाम राज0 सरकार।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री नरेन्द्रपाल सिंह उपस्थित।
2. राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय दिनांक–26.02.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2012 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अप्रार्थी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 147 रकवा 0.62 है0 साविक खसरा नम्बर 40 मिन रकवा 02 बीघा 10 विस्वा वाके ग्राम छतरपुर तहसील नदबई जिला भरतपुर पर प्रार्थीया अपीलाण्ट का 40 साल पुराना कब्जा काश्त है तथा रांजकोष में पैनल्टी व नीलामी की राशि जमा कराता चला आ

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रहा है। परन्तु राजस्व अभिलेख में वर्तमान इंद्राज सिवायचक खिलाफ मौका व खिलाफ रिकार्ड हैं। उक्त आराजी का भूरी सिंह पुत्र रामकरन जाति जाट निवासी छतरपुर ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 19.10.1977 को अपने पक्ष में आवंटन मानते हुये नामान्तकरण संख्या 277 के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करा ली एवं नामान्तकरण संख्या 490 से खातेदारी दर्ज करा ली गयी। जिसकी अपील न्यायालय अपील अधिकारी के यहॉ की गयी जो स्वीकार होकर आवंटन निरस्त हो गया एवं नामान्तकरण संख्या 1267 से विवादित भूमि को राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज कर दिया गया। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त है एवं पटवारी हल्का आये दिन अपीलाण्ट की फसल को नीलाम करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ताफैसला जरिये स्थगन आदेश से पाबन्द किये जाने का निवदेन किया कि वह उक्त विवादित आराजी में मदाखलत व मजाहमत ना करें व कब्जे काश्त में दखलन ना करे व राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई, अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर काबिले खारिजी है। यह है कि विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का काफी वर्षो पुराना कब्जा काश्त है एवं वर्तमान में भी अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है एवं फसल खडी हुयी है। विवादित आराजी गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज हो रही है। पूर्व में विवादित आराजी का आवंटन भी गलत रूप से कर दिया गया था जो अपील के माध्यम से निरस्त हो चुका है। अपीलाण्ट के कब्जे/नियमन की सिफारिश भी तहसीलदार नदबई ने दिनांक 04.07.2008 से की गयी है। अपीलाण्ट विवादित आराजी की लगातार पैनल्टी राशि का भुगतान करते चला आ रहा है। फिर भी अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज करने में भूल की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विवादित आराजी से बेदखल नहीं करने की पाबन्दी आयद किये जाने का निवेदन किया।

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमे हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक सरकार के खाते में

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पर्ज है। अपीलाण्ट का उस पर अवैध कब्जा है। सरकार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। विवादित आराजी खसरा नम्बर 147 रकबा 0.62 है0 वर्तमान रिकार्ड में सिंचायक दर्ज होने से विवादित आराजी पर स्वामित्व सरकार है। यदि अपीलाण्ट का कब्जा वादग्रस्त आराजी पर है, तो वह मात्र एक अतिक्रमी की हैसियत से ही माना जावेगा। जबकि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन प्रार्थी को काश्तकार की हैसियत से वादग्रस्त भूमि पर काबिज होना प्रथम दृष्टया रूप से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है, जिसका इस प्रकरण में अभाव प्रतीत होता है। क्योंकि प्रार्थी विवादित आराजी का काश्तकार ना होकर अपितु एक अतिक्रमी है। सरकारी भूमि पर विधि विरूद्ध पश्चात्वर्ती अतिक्रमण संज्ञान में आने पर न्यायालय मूक दर्शक नही रह सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई संज्ञान नही लिया है; अतः हम तहसीलदार नदबई को निर्देशित करना चाहेंगें कि वह अतिक्रमी के खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुये अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुये, उन्हें विवादित आराजी से बेदखल करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.07.2012 यथावत रखें जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 26.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.02.2024

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर